सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी—रामनिवास जाट, आर.ए.एस

अपील संख्याः 81/16 **निर्णय दिनांकः 08.07.2019**

1. लालचन्द पुत्र बीरबलराम जाति जाट निवासी तख्तपुरा तहसील छत्तरगढ़ जिला बीकानेर।

—अपीलांट्

—बनाम—

1. हंसराज पुत्र रूपाराम जाति जाट निवासी तख्तपुरा तहसील छत्तरगढ़ जिला बीकानेर।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व खाजुवाला।

—रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरुद्व आदेश उपखण्ड अधिकारी, छत्तरगढ़
दिनांक 07—09—2016

उपस्थितः—

1. श्री नरसाराम जाखड़, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री सुरेन्द्र बड़गुजर, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स
3. श्री नन्दराम कॉसनिया राजकीय, अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी, छत्तरगढ़ के आदेश दिनांक 07—09—2016 जिसके द्वारा अदालत मातहत द्वारा मनमाने व स्वेच्छाधारी तरीके से नया रास्ता कायम करने के आदेश प्रदान किये गये है, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है ।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट के नाम से चक 5 टीएम के मुरब्बा नम्बर 145/37 के किला नम्बर 3 ता 8, 14 ता 17, 23 व 24 की 10 बीघा 16 बिस्वा खातेदारी भूमि है। जेकि उसके कब्जे काश्त में चली आ रही है तथा वर्तमान में मौके पर रबी की फसल खड़ी है। जिसमें आवागमन हेतु पहले से ही रास्त चालू है। उक्त को दरकिनार करते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रास्ते के विद्यमान कानून को ध्यान में रखे बिना अपीलांट की खातेदारी भूमि में से रास्ता कायम करने के आदेश प्रदान किये गये है। जबकि धारा 251 ए के तहत रास्ता कायम करने से पूर्व संबंधित काश्तकार को नोटिस देकर सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किया जाना अपरिहार्य है। प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा धारा 251 'ए' के नियम 69 का अवलोकन व पालना किये बिना ही रास्ता कायम करने के आदेश प्रदान किये गये है।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने आगे बताया कि अदालत मातहत द्वारा वादगत् भूमि पर रास्ता कायम करने से पूर्व संबंधित तहसीलदार की कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं की गई। जबकि यह विधि का सर्वमान्य सिद्वान्त है कि रास्ते के प्रकरणों में तहसीलदार स्वयं अथवा जहॉ आवश्यक हो पीठासीन अधिकारी स्वयं मौके का निरिक्षण करते हुए मौके की वास्तविक स्थिति के अनुसार विधि सम्मत निर्णय पारित करें। प्रस्तुत प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा रास्ते से संबंधित नियमों की धज्जियॉ उड़ाते हुए एकतरफा तौर पर आदेश जैर अपील पारित किया गया है। अदालत मातहत द्वारा उक्त आदेश पारित करने से पूर्व किसी प्रकार के रिकार्ड का कोई अवलोकन नहीं किया गया है। यदि अदालत मातहत द्वारा तत्समय ऐसा किया जाता तो उनके समक्ष यह स्थिति स्वमेव प्रस्तुत हो जाती की रेस्पोडेन्ट को अपने खेत में आवागमन हेतु पूर्व में अन्य रास्ता उपलब्ध है।

चूंकि रेस्पोडेन्ट के पास वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है व वास्तव में इस रास्ते की कतई आवश्यकता नहीं है। अब अपीलांट को मात्र तंग व परेशान करने की नियत से कानून का दुरूपयोग किया जा रहा है। रेस्पोडेन्ट द्वारा केवल मात्र सुविधा के लिए अपीलांट के मुरब्बे में से रास्ता स्वीकृत कराया गया है। ऐसी स्थिति में जब पूर्व में रास्ता कायम

है तो नया रास्ता कायम करने के आदेश 251ए आरटीए के तहत पारित नहीं किये जा सकते। जबकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251ए के पैरा ाा में यह स्पष्ट रूप से अभिलिखित है कि जब अन्य खातेदार के खेत में से होकर रास्ता चाहा गया है तो अन्य वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध होने की दशा में नया रास्ता कायम नहीं किया जा सकता। वास्तव में मौके पर नये रास्ते की कतई आवश्यकता नहीं है। अब मात्र अपीलांट को तंग व परेशान करने की नियत से कानून का दुरूपयोग करते हुए आदेश जैर अपील दुराभि संधि से प्राप्त किया गया आदेश है जो निरस्त किया जाने योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे।

4. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि चक 5 टीएम के मुरब्बा नम्बर 145/29, 145/30, 145/36, 145/37, 145/38 की 58 बीघा भूमि एक संयुक्त खाते की भूमि थी जिसके विभाजन के समय रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के हिस्से में आई भूमि मुरब्बा नम्बर 145/36 के किला नम्बर 16 ता 18, व 24 ता 25 में आवागमन हेतु रास्ता स्वीकृत नहीं किया गया। ऐसी स्थिति में उक्त किलों में आवागमन हेतु प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पास कोई रास्ता नहीं है। उक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा मुरब्बा नम्बर 145/37 के किला नम्बर 5, 6, 15, 16 व 25 के रास्ते को जोड़ता हुआ उत्तर दिशा में जाने के लिए रास्ते की मांग की गई। उक्त प्रार्थना पत्र अदालत मातहत द्वारा प्रकरण की वस्तुस्थिति की जानकारी हेतु नियमानुसार मौका रिपोर्ट प्राप्त की गई। उक्त मौका रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से अभिलिखित है कि प्रार्थी के आवागमन का कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा प्राप्त रिपोर्ट व उपलब्ध दस्तावेजात्, नजरी नक्शा के अवलोकन के आधार पर मुरब्बा नम्बर 145/36 के किला नम्बर 5, 6, 15, 16, 25 व मुरब्बा नम्बर 145/37 के किला नम्बर 5, 6, 15, 16, 25 प्रत्येक में 2—2 बिस्वा रास्ते की मंजूरी प्रदान की गई है। अदालत मातहत द्वारा नियमानुसार तहसीलदार से मौका रिपोर्ट प्राप्त करने के उपरान्त मौके की स्थिति, रास्ते की आवश्यकता (absolute nessecity & convinient) के आधार पर स्वीकृत किया गया है। जिसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः अपीलांट की अपील खारिज की जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

6. हस्तगत् प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मुरब्बा नम्बर 145/36 के किला नम्बर 5, 6, 15, 16, 25 व मुरब्बा नम्बर 145/37 के किला नम्बर 5, 6, 15, 16, 25 प्रत्येक किला में 02—02 बिस्वा बिस्वा रास्ता स्वीकृत किया गया है। इस संबंध में हमने अपीलाधीन आदेश व मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया। प्रकरण में सर्वप्रथम यह कथन उल्लेखनीय है कि धारा 251 ए के तहत रास्ते के प्रावधानों में मौका रिपोर्ट स्वयं पीठासीन अधिकारी द्वारा मौके पर उपस्थित होकर समस्त पक्षकारान् की उपस्थिति में मौका रिपोर्ट तैयार की जानी होती है। प्रस्तुत प्रकरण में मौका रिपोर्ट धारा 251ए में उपलब्ध प्रावधानों के विपरीत जाकर केवल मात्र संबंधित पटवारी व भू—अभिलेख निरीक्षक द्वारा बिना अपीलांट की उपस्थिति के तैयार की गई है। इस प्रकार अदालत मातहत द्वारा स्वयं धारा 251 ए के आज्ञापक प्रावधानों का उल्लंधन करते हुए आदेश जैर अपील पारित किया जाना परिलक्षित होता है।

प्रकरण में यह भी उल्लेखनीय है कि अदालत मातहत द्वारा रास्ते जैसे महत्वपूर्ण प्रकरण में जहॉ एक तरफ तो अपीलांट की खातेदारी भूमि में से रास्ता स्वीकृत किया गया वहीं दूसरी तरफ अपीलांट को सुनवाई व सबूत का कोई अवसर प्रदान नहीं करते हुए एकतरफा तौर पर आदेश पारित किया गया है।

धारा 251 ए के तहत मौके की स्थिति, रास्ते की आवश्यकता (absolute nessecity) को ध्यान में रखते हुए रास्ता स्वीकृति के आदेश पारित किये जाने होते है। रास्ते के प्रकरण में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के नियम 69 के तहत उपखण्ड अधिकाारी संक्षिप्त जॉच के पश्चात् यह सुनिश्चित करेगा कि उक्त रास्ता आत्याधिक आवश्यक है या नहीं? तथा यह भी कि उक्त रास्ता अन्य खातेदार(प्रत्यर्थी) की जोत में से होकर (विशेषकर जब आवेदन नये रास्तों के लिए हो) पहुॅचने के लिए अन्य कोई साधन नहीं है, तब इस प्रकार रास्तों के मामलों में धारा 251 (ए) के अनुसार उपखण्ड

अधिकारी द्वारा संक्षिप्त जॉच, आत्यांतिक आवश्यकता एवं सुविधा को जानना महत्वपूर्ण है। प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा वादगत् भूमि के संबंध में जो रिपोर्ट प्राप्त की गई वह मात्र पटवारी हल्का द्वारा अपीलांट व अन्य पक्षकारों की अनुपस्थिति में एकतरफा तौर पर तैयार किया जाना स्पष्ट है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश जैर अपील में रास्ते के लिए अलग की गई भूमि की एवज में क्षतिपूर्ति राशि के प्रावधानों को अनदेखा किया गया है। ऐसी स्थिति में आदेश जैर अपील एकतरफा एवं मनमाना होने के कारण व धारा 251ए के प्रावधानों के विपरीत होने से युक्तियुक्त, तर्कसंगत व न्यायसंगत आदेश की परिभाषा में नहीं आता है।

7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट की अपील स्वीकार की जाती है एवं उपखण्ड अधिकारी, छत्तरगढ़ का अपीलाधीन आदेश दिनांक 07—09—2016 निरस्त किया जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ उपखण्ड अधिकारी, छत्तरगढ़ को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि रास्ते के विद्यमान नियमों की पालना करते हुए व अपीलांट को सुनवाई व सबूत का पर्याप्त अवसर प्रदान करते हुए पुनः विधि सम्मत आदेश पारित करें।

8. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 08—07—2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(रामनिवास जाट)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर